


श्री ललित मोहन जोशी, पुत्र श्री महेश चन्द्र जोशी ग्राम- खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 20.09.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै० ललित मोहन जोशी, पुत्र श्री महेश चन्द्र जोशी ग्राम- खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (4.994 है० क्षेत्रफल) खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों टाइम्स ऑफ इण्डिया एवं अमर उजाला में दिनांक 18.08.2023 के अंको में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई०आई०ए० रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 20.09.2023 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी। तदक्रम में जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 20.09.2023 को 11:00 बजे परियोजना स्थल ग्राम- खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था ईको लैबोरेटरीज एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा० लि० के श्री भुवन जोशी द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना व 2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना बी 1 श्रेणी में है। प्रस्तावित परियोजना TOR 03 जून 2023 को जारी किया गया है। परियोजना का खनन क्षेत्र ग्राम- खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर है तथा खनन क्षेत्रफल 4.994 है० है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र के भीतर कोई मौसमी या बारहमासी जल निकासी मौजूद नहीं है। धूल के दमन के लिये हाल रोड पर पानी के छिडकाव का प्राविधान किया गया है। सोप स्टोन खनन में कोई ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी। सी०ई०आर कार्यक्रम में हाल रोड का रख रखाव, मोबाईल शौचालय और अन्य सुविधाओं का रख रखाव, स्वास्थ्य और स्वच्छता कचरादान तथा सफाई हेतु प्रस्तावित खनन परियोजना में 0.80 लाख फन्ड का प्राविधान किया गया है तथा पर्यावरण सुरक्षा आदि हेतु खनन के प्रथम वर्ष हेतु रूपय 7,87,875/- का प्राविधान किया गया है। परियोजना के माध्यम से सी०ई०आर० पर्यावरण के संरक्षण खनन का कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं है। खनन कार्य भूजल को बिना प्रभावित किये आगे बढ़ेगी।






पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े इस हेतु कम शोर वाले वाहनों का प्रयोग खनन क्षेत्रान्तर्गत किया जायेगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं स्थानीय ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम व स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जायेंगे। वृक्षारोपण का कार्य जिला प्रशासन तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना के 10 किमी० अन्तर्गत कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी तथा कोर जोन नहीं आता है। माइन में कार्य करने हेतु मेकेनाईज्ड पद्धति से कार्य किया जायेगा तथा 03 मी० ऊँची बेन्च का निर्माण किया जायेगा। ऊपरी सतह से निकाली गई मिट्टी को डंप यार्ड में रखा जायेगा। खदान में विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्ष रूप से 47 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, अपत्तिया एवं टीका-टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित जनसमुदाय से प्राप्त टीका-टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत है:-

1. श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, ग्राम- तुपेड़ तहसील व जनपद बागेश्वर:- श्री बलवन्त सिंह द्वारा कहा गया कि वृक्षारोपण हेतु पौधे काशतकारो को मिलने चाहिए जिसमें वह अपनी अन्य भूमि पर वृक्षारोपण कर सकें ओर अवगत कराया गया कि खुल्दौड़ी में पूर्व में पौधे आये थे। उन पौधो का वृक्षारोपण कहाँ किया गया पता नहीं चला। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा कहाँ गया कि भूमिस्वामी द्वारा वृक्षारोपण हेतु पौधे का रोपण स्वयं अपनी भूमि पर करना एक अच्छी पहल व विचार है तथा भूमिस्वामी द्वारा परियोजना प्रस्ताव से अपेक्षा की भूमि स्वामी को अपने भूमि पर पौधे वृक्षारोपण हेतु भूमि स्वामि को दिये जाने चाहिए।
2. श्री महेश सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम-खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर:- श्री महेश सिंह द्वारा कहा गया कि इस कार्यक्रम हेतु अवगत नहीं कराया गया हमारे घर प्रस्तावित खनन क्षेत्र में है ओर हमें खनन से खतरा है तथा खनन के बारे में बताया नहीं गया है। इस क्रम में श्री बलवन्त सिंह ग्राम- तुपेड़ तहसील व जनपद बागेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र मकान 1.5 कि०मी० दूरी पर है, जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रकरण को सम्बन्धित द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा जनसुनवाई के संबंध में समाचार पत्र में पूर्व में विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के संबंध में बताया गया।
3. श्री रमेश सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह, ग्राम- तुपेड़ तहसील व जनपद बागेश्वर:- श्री चन्दन सिंह द्वारा कहा गया कि मैं बाहर नोकरी करता हूँ तथा वास्तविक भूमिस्वामी को मुआवजा नहीं दिया गया है वास्तविक भूमिस्वामी को मुआवजा दिया जाना चाहिए।
4. श्री कुशाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह, ग्राम- खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर:- श्री कुशाल सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में मेरा मकान स्थित है मेरी व्यवस्था किये बिना खनन कार्य न किया जाए। तदक्रम में जनसुनवाई में उपस्थित परियोजना प्रस्ताव द्वारा अवगत करया गया है कि श्री कुशाल सिंह के मकान






को खनन प्रारम्भ से 06 माह पूर्व अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा तभी उसके उपरान्त ही खनन कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग एवं सहमति से प्रारम्भ किया गया जायेगा

5. श्री कुवर सिंह मेहता पुत्र श्री धन सिंह मेहता ग्राम-खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर:- श्री मेहता द्वारा अवगत कराया गया कि मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ तथा मुझे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। जिस पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा पट्टाधारक से अपेक्षा की कि क्षेत्र में कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता की जानी चाहिए तथा श्री कुवर सिंह मेहता को आर्थिक सहायता हेतु प्रशासन को अवगत कराने के लिए कहाँ गया।
6. श्री मनमोहन सिंह दफौटी पुत्र श्री कुन्दन सिंह दफौटी:- श्री दफौटी द्वारा कहा गया कि खनन पट्टाधारक द्वारा पूर्व में क्षेत्रवासीयों का सहयोग किया गया है तथा भविष्य में सहयोग की अपेक्षा की जाती है तथा स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिये जाने की बात की गयी।
7. श्री प्रकाश खेतवाल (परियोजना प्रतिनिधि) ग्राम-खुल्दौड़ी तहसील व जनपद बागेश्वर:- श्री प्रकाश खेतवाल द्वारा अवगत कराया गया कि कुशल सिंह का मकान खनन क्षेत्र में आ रहा है। अनुमति मिलने के उपरान्त खनन करने से पूर्व श्री कुशल सिंह को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। क्षेत्र में स्थित धारे नोले संरक्षित किये जाएंगे रास्ते की मरम्मत तथा देख भाल की जाएगी। स्थानीय लोगों को खनन परियोजना में रोजगार दिया जाएगा। क्षेत्र में स्थित गरीब पिछड़े अदि लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। क्षेत्र के सभी लोगों सहयोग तथा सहमति से खनन कार्य किया जाएगा।

अन्त में उपस्थित जनसुनवाई से अन्य सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी प्राप्त न होने पर सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आयोजित जनसुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जनसुनवाई की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जनसमुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति पंजिका में दर्ज की गयी है।


(हरीश चन्द्र जोशी)
सहाय वैज्ञानिक अधिकारी
उपनिर्देशक, हल्द्वानी।


(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर।

मै. श्री ललित मोहन जोशी पुत्र श्री महेश चन्द्र जोशी, ग्राम- खुलदोडी, तहसील खं जिला बागेश्वर द्वारा खुलदोडी सोपस्टोन माइनिंग (परियोजना क्षेत्रफल- ५.११५ हे.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में उपस्थित का विवरण -

सुनवाई स्थल : ग्राम- खुलदोडी, तहसील खं जिला - बागेश्वर

समय व तिथि : प्रातः ११:०० बजे २०.०९.२०२३

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	अनुराधा पाल	जिलाधिकारी बागेश्वर	
2	हरीश चन्द्र जोशी	सहा. नैसा. अधिकारी (ए.क.प.स.ब.) Haldwani	
3	महेश सिंह	नुपडा	
4	सन्देश सिंह रावत	खुलदोडी (काजडीगिर)	
5	वत्सवत्स सिंह प्रकाश	नुपडा	
6	प्रकाश सिंह खेतवा	नुपडा खुलदोडी	
7	हनुमान सिंह खेतवा	काजडी गिर	
8	कुंदन सिंह	खलदोडी	
9	Mannu Singh	Khuladodi	
10	Hardev Singh	Khuladodi	
11	Hardev Singh	Khuladodi	
12	Sunder Singh Raibab	Maithera	
13	Narain Singh	Dajwadi	
14	सन्ताप सिंह	नुपडा	
15	PooRaj KHEWAL	नुपडा	
16	LALIT JOSHI	12	
17	अनुराधा पाल	खुलदोडी गिर	
18	महेश सिंह	नुपडा	

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
19	कुशल सिंह	कुशल	
20	राजेश सिंह	कुशल	
21	राजेश सिंह	कुशल	
22	हरिपाल सिंह	कुशल	
23	राजेश सिंह	कुशल	
24	विपिन रावत	कुशल	
25	रमेश सिंह	कुशल	
26	रमेश सिंह	कुशल	
27	सुरज सिंह रावत	कुशल	
28	पतिमा रावत	Bahadur	
29	राजेश सिंह	कुशल	
30	BHAWA JAIN Consultant	Consultant	
31	Anand Singh	Dejag	
32	नाथ सिंह	कुशल	
33	राजेश सिंह	कुशल	
34	विश्वेश्वर सिंह	कुशल	
35	आयुष नगी (कम. वध)	UKPCB (Roh)	

खनन परिशोधना : ललित मोहन जोशी

ग्राम - खुल्दी, तहसील व जिला - बागोदर, उत्तराखण्ड

(सोप स्टोन माइनिंग क्षेत्रफल - 4,994 हे.)

सुनवाई स्थल - परिशोधना स्थल

समय एवं तिथि प्रातः 11:00 बजे, दिनांक 20/09/2023



पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।

आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कॉलोनी - हरद्वानी (नैनीताल) 263139

पर्यावरण प्रस्तावक - ललित मोहन जोशी, पर्यावरण सलाहकार - मेसर्स ईको पर्यावरण लैबोरेटरीज एवं कन्सलटेन्स प्रा०लि०



Capo Renoz F